

“प्ररूप 26”  
(नियम 4क देखिए)



37- अमेठी ..... (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) निर्वाचन क्षेत्र से  
 लोकसभा ..... (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग  
 आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र


भाग-क

मैं वारादेव ..... \*\*पुत्र/पुत्री/पत्नी वकीपुसाद ..... आयु 52 वर्ष  
 वर्ष, जो ग्राम-मधारवादी न.नं. 10ब पो.व.जिला-अमेठी पिन 227405  
 (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी  
 हूँ/होऊंगी से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- (1) भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) रेड्यूस (\*\*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा  
 खड़ा किया गया अभ्यर्थी / \*\*एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।  
 (\*\*जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम श.र.अमेठी लोकसभा के 196 विधान सभा अरु प्रदेश (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में  
 क्रम संख्या 105 के क्रम संख्या 175 पर प्रविष्ट है।

मेरा संपर्क टेलीफोन नं० - 09792718292 है/हैं, मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

CPIMLR.E-DST@RAMETHI.G.O.PHIL.COM



4-14 Vardeo

Vardeo



4. रक्षायी लेखा संख्यांक (पैन) के व्योरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :-

क्रम सं०	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं वासदेव	CGKPM6215 M	शून्य	शून्य
2	पति या पत्नी	नागू नही	नागू नही	नागू नही
3	आश्रित-1	नागू नही	नागू नही	नागू नही
4	आश्रित-2	नागू नही	नागू नही	नागू नही
5	आश्रित-3	नागू नही	नागू नही	नागू नही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।



Vardas

Vardas

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण व्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और (अपराध) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकੀ गई है/हैं।	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है [पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न] :-


(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के व्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है।	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गयी अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के व्यौरे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :-

यदि अभिसाक्षी उपयुक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो यह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :-

(क)	उन मामलों के व्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गयी थी/है। यदि हां, तो अपील के व्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	लागू नहीं



Vardeo

- (7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितोंकी आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के व्यौरे नीचे देता हूँ :-

**अ. जंगम आस्तियों के व्यौरे :**

- टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।  
 टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं०, रकम, जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित व्यौरे दिए जाने हैं।  
 टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।  
 टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75 क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।  
 टिप्पण 5 - रकम सहित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3	
(i)	हाथ में नकदी	60000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(ii)	बैंक खातों में जमा के व्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया नं. ला. 1053939927 जमा-195-64 982-31 मंजी बचत खाता- 02662151013703 इलाहाबाद बैंक अमेठी ब. ला. गिब्य 5019899398 जमा-1000 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/ शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के व्यौरे और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के व्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

828  
16 जन 14

Vasles

(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	लागू नहीं शून्य	1 पाव चौकी ₹ 11000	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	₹ 61692.64	11000	शून्य	शून्य	शून्य

**ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे :**

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	214	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	0.953	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुमानित चालू बाजार मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य




Verdes

	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएं)	पेटक मकान मिर्ह गाम मंहरक- 3350	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	20x15 का मकान 3350 का क्षेत्र	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	10x10 का मकान 33x33=1090 का क्षेत्र	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	2 लाख 11 हजार	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	मकान-2 लाख जमीन-12 लाख कुल-14 लाख	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-  
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के व्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	भारतीय स्टेट बैंक KCC-नरन 8532575 बकाया: 30451830138	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किसी	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही	नागूनही



Vardar

	अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोधय नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	85325.75	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोधय : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलीकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय-कर शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोधय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोधयों का कुल योग	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं ..... वकाजद समाज सेवा .....

(ख) पति या पत्नी ..... गृहणी .....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें) कृषि स्नातक - 1985 कुलनाथक राजप्रसिद्धी कॉलेज - कामपुर विश्व विद्यालय  
विधि स्नातक - 1988 इलाहाबाद विश्व विद्यालय




16/4/19

Verdeo

## भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कु० <u>वारुदेव</u> <u>ग्राम-मंछरपट्टी प्र.नं. 106 पो.वांजि प्रमोडी</u>				
2.	डाक का पूरा पता					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	37-प्रमोडी लोकसभा, झारखण्ड				
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी-लेनिनवादी) रेड्सर				
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों, की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	लागू नहीं				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है [(ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)]	लागू नहीं				
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। [(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)]	लागू नहीं				
7.		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय		
	(क) अभ्यर्थी	CGKPM6215M	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
	(ग) आश्रित	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं		
8.	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूप में)					
क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
क.	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	61692.64	11000	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	स्थावर आस्तियां					
	I स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	II क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	..... की	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	III अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत					
	(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियां	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



Verdes

16 य-य



	(कुल मूल्य)	1461692.64	11000	शून्य	शून्य	शून्य
9.	दायित्व	के.सी.सी.के.ए. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(i)	सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	K.C.C. के.सी.के.ए. 85325.75 SBI के.सी.के.ए.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(i)	सरकारी शोध (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : कृषि विज्ञान केंद्र, अलाहाबाद कायम रिग्री कॉलेज - कायम, कानपुर विश्वविद्यालय (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)					

### सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है, मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-


- (क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।
- (ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख :- 16-9-2019..... को सत्यापित किया गया

Vasdeo  
अभिसाक्षी

Vasdeo

Vasdeo

 Act  
16/9/19

नोट:-

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराहन तक फाइल किया जाना चाहिए।
2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
4. शपथ पत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

नोट 5 :

अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ-पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष-2008 की सं0 121-रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ-पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ-पत्र के सभी कॉलम भरे हुए हैं। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

नोट 6 :

शपथ-पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए:-

"मेरा टेलीफोन नं0 ...09792718292..... है/हैं,

मेरा ईमेल आई.डी. (यदि कोई हो) CPIMLR.EDS.TARAMETHI.@GMAIL@,com

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) ..... है।"


Facebook - (1) Vasdeo Maurice adu

Twitter (2) CPIMLR.EDS.TARAMETHI

blog - (1) Vasdeo Maurice

Mubti-Path. blogspot.com

Vasdeo

A handwritten signature and a circular stamp are visible at the bottom of the page. The signature appears to be 'Vasdeo' and the stamp is partially legible.